भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0-1147
उत्तर देने की तारीख 16 अगस्त, 2013

मोबाइल टॉवर

1147 श्री रघुनन्दन शर्मा :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश के विभिन्न भागों में संबंधित स्थानीय निकायों और प्राधिकारियों से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना लगाए गए मोबाइल टॉवरों का रिकॉर्ड है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) मोबाइल टॉवर लगाने संबंधी निर्धारित मानदंड/दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ग) क्या आवासीय क्षेत्रों, सरकारी भवनों, स्कूलों आदि के पास बड़ी संख्या में मोबाइल टॉवर लगाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/कंपनी-वार ऐसे टॉवरों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन टॉवरों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा)

(क) : मौजूदा नीति के अनुसार, दूरसंचार विभाग का बेतार आयोजना और समन्वय स्कंध अन्य बेतार प्रयोक्ताओं के साथ व्यतिकरण, उड़ान संबंधी जोखिम और किसी अन्य मौजूदा माइक्रोवेव लिंक के संबंध में व्यवधान की दृष्टि से प्रत्येक स्थल पर मोबाइल टॉवर संस्थापित करने के लिए स्थल संबंधी अनुमोदन प्रदान करता है। स्थल संबंधी यह अनुमोदन नगर निगम/ग्राम पंचायत आदि जैसे स्थानीय निकायों की लागू उपविधि, नियमों और विनियमों के अनुसार बिना किसी भेदभाव के दिया जाता है।

तदनुसार, टॉवर संस्थापित करने से पूर्व दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को नगर निगम/ग्राम पंचायतों आदि जैसे संबंधित स्थानीय निकायों से जरूरी अनुमति प्राप्त करनी होती है। तथापि, स्थानीय निकायों द्वारा प्रदत्त इस प्रकार की अनुमति/अनुमोदन का रिकार्ड दूरसंचार विभाग द्वारा नहीं रखा जाता है।

(ख) : दूरसंचार विभाग द्वारा राज्य सरकारों को मोबाइल टॉवर संस्थापित करने के लिए अनुमोदन देने हेतु संशोधित परामर्शी दिशा-निर्देश दिनांक 01.08.0213 को जारी किए गए हैं और इसे दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाया गया है। उक्त दिशा-निर्देशों की एक प्रति **अनुबंध** के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) : मौजूदा नीति के अनुसार आवासीय इलाकों, सरकारी भवनों, स्कूलों आदि के निकट और आस-पास मोबाइल टॉवर संस्थापित करने के संबंध में कोई रोक नहीं लगाई गई है।

तथापि, संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, टॉवर पर लगे सबसे नीचे के एंटीना के झुकाव को ध्यान में रखते हुए एंटीना के बिल्कुल सामने समान ऊँचाई का कोई भवन नहीं होगा जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया हैः-

समान दिशा में अभिमुख एंटीना की संख्या	समान ऊँचाई पर एंटीना से भवन/ संरचना की सुरक्षित दूरी (मीटर में)
1	20
2	35
4	45
6	55

जारी.....2/-

अनुबंध

दूरसंचार विभाग
मोबाइल टॉवर संस्थापित करने के लिए अनुमोदन दिए जाने हेतु राज्य सरकारों के लिए परामर्शी दिशा-निर्देश
(दिनांक 01.08.2013 से लागू)

1. भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में असाधारण वृद्धि देखी गई और विशेषरूप से मोबाइल टेलीफोनी में पिछले दशक के दौरान देश में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। पूरे देश में टेलीफोन कवरेज प्रदान करना दूरसंचार विभाग की शीर्ष प्राथमिकता रही है। मई,2013 की स्थिति के अनुसार 921 मिलियन कनेक्शनों में से 891 मिलियन कनेक्शन वायरलैस कनेक्शन हैं। सेलफोन और बेतार संचार उपकरणों की लोकप्रियता के परिणामस्वरूप पूरे देश में सेल टॉवरों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

2. मोबाइल बेस स्टेशनों से रेडियो फ्रिक्वेंसी फील्ड उत्सर्जन की प्रभाव सीमा के मापकों का निर्धारण, उनके अनुपालन की निगरानी, विकिरण से संबंधित सभी तकनीकी मामले, अभिगम सेवा लाइसेंस/अवसंरचना प्रदाता पंजीकरण से संबंधित मुद्दे और किसी स्थान पर फ्रिक्वेंसी आवंटन के लिए एसएसीएफए अनुमोदन से संबंधित मामलों की देख-रेख दूरसंचार विभाग द्वारा की जाती है।

3. भारत ने बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) से होने वाले विकिरण हेतु कड़ी सीमा लागू की है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों (आईसीएनआईआरपी) की सीमा का 1/10 गुणा है। यह सीमा निम्नानुसार है:-

फ्रिक्वेंसी मेगाहर्टज़ में	ऊर्जा घनत्व सीमा
900	0.45 वाट/एम^2
1800	0.9 वाट/एम^2
2100 और इससे ऊपर	1 वाट/एम^2

4. मोबाइल फोन टॉवरों को संस्थापित करने का अनुमोदन देने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिनांक 23.08.2012 को जारी किए गए थे जिन्हें बाद में दिनांक 26.03.2013 को संशोधित किया गया था। तदुपरांत, दिनांक 16.04.2013 को राज्य सरकार के अधिकारियों और विभिन्न पणधारकों के साथ किए गए विचार-विमर्श के उपरांत प्राप्त जानकारी और इसके पश्चात किए गए अन्य परामर्शों के आधार पर राज्य सरकारों के लिए दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया। इसका विवरण नीचे "क" और "ख" बिंदुओं के अंतर्गत दिया गया है/ ***ये दिशा-निर्देश इस विषय पर जारी पहले के सभी दिशा-निर्देशों का अधिक्रमण करते हुए जारी किए गए हैं।***

क मोबाइल टॉवर संस्थापित करने के बारे में स्थानीय निकायों/राज्य सरकारों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं/अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज:-

I. दूरसंचार विभाग से प्राप्त संगत लाइसेंस/अवसंरचना प्रदाता पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति।

II. डाटा-शीट

क) सेवा प्रदाता/अवसंरचना प्रदाता का नाम

ख) स्थान

ग) टॉवर का विवरण:

i) ऊँचाई, ii) भार, iii) जमीन/छत के ऊपर, iv) पोल/दीवार पर संस्थापित

v) एंटीना की संख्या

जारी.....3/-

III. इस आश्वासन के साथ डब्ल्यूपीसी पावती के रूप में पंजीकरण संख्या सहित डब्ल्यूपीसी स्कंध को प्रस्तुत उक्त स्थान के लिए एसएसीएफए अनुमोदन की प्रति/एसएसीएफए आवेदन की प्रति कि किसी भी आपत्ति/अस्वीकरण के मामले में दूरसंचार सेवा प्रदाता/अवसंरचना प्रदाता सुधारात्मक कार्रवाई करेगा/टॉवर को हटाने का कार्य करेगा।

IV. सतह पर लगाए जाने वाले टॉवर के लिए संरचना सुदृढ़ता प्रमाणपत्र की प्रति/छत के ऊपर संस्थापित किए जाने वाले बीटीएस टॉवरों के मामले में राज्य/स्थानीय निकाय/केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) रूड़की/आईआईटी/एनआईटी या स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी के किसी प्राधिकृत संरचना इंजीनियर के लिखित अनुमोदन पर आधारित भवन और टॉवर के लिए संरचनात्मक सुदृढ़ता प्रमाण-पत्र।

V. डीजल जेनरेटर सेट के विनिर्माताओं को भारतीय आटोमेटिव अनुसंधान संघ (एआरएआई) द्वारा जारी टाइप टेस्ट प्रमाण-पत्र की प्रति।

VI. केवल ऐसे ऊँचे भवनों के मामले, जहां अग्निशमन व्यवस्था संबंधी अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होता है, के संबंध में अग्नि सुरक्षा विभाग से प्राप्त अनुमोदन की प्रति।

VII. वन संरक्षित क्षेत्रों में, यदि लागू हो, राज्य पर्यावरण एवं वन विभाग से प्राप्त अनुमोदन की प्रति।

VIII. स्थानीय निकाय छत के ऊपर संस्थापित किए जाने वाले टॉवरों के मामले में उस भवन के मालिक/छत शीर्ष का अधिकार रखने वाले कंपनियों अथवा उस छत के भवन में रहने वाले किरायेदारों/जमीन आधारित टॉवर के मामले में भूमि मालिक, जैसा भी मामला हो, से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की प्रति प्रस्तुत करने को कह सकते हैं। राज्य सरकारें अपने लागू नियमों के अनुसार अपने विवेक से मोबाइल टॉवर की स्थल (किरायेदारी) संविदा के नवीकरण के समय नया एनओसी मांग सकती हैं।

IX. टीईसी, दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में मोबाइल टॉवरों/बीटीएस (जमीन आधारित/छत के ऊपर/पोल/दीवार पर लगे) के संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं/अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत स्व-प्रमाणपत्र के संबंध में टर्म प्रकोष्ठ द्वारा जारी पावती रसीद जिसमें यह साबित/प्रमाणित किया गया हो कि टॉवर के आस-पास के सभी जन-सामान्य क्षेत्र एंटीना द्वारा विकिरण शुरू करने के उपरांत अधिकतम ट्रैफिक मापन के अनुसार सुरक्षित विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रभाव सीमा के भीतर होंगे।

ख. राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

I. टॉवर संस्थापित करने की अनुमति प्रदान करने की अपनी लागत वसूल करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया गया नाममात्र एक-बारगी प्रशासनिक शुल्क।

II. दूरसंचार सेवा प्रदाताओं/अवसंरचना प्रदाताओं को स्थानीय निकायों/राज्य सरकारों द्वारा समय-बद्ध रूप में सिंगल विन्डो अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है।

III. दूरसंचार टॉवरों को भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.03.2012 की राजपत्र अधिसूचना सं.81 के तहत अवसंरचना का दर्ज़ा प्रदान किया गया है। अवसंरचना उद्योग को दिए जाने वाले सभी लाभ इन टॉवरों को दिए जाने चाहिए। **बीटीएस स्थलों को प्राथमिकता आधार पर विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाए।**

जारी.....4/-

IV. दूरसंचार स्थापनाएं लाइफलाइन संस्थापनाएं है और यह मोबाइल संचार में अत्यधिक महत्वपूर्ण अवसंरचना हैं। मोबाइल संचार जो एक अनिवार्य सेवा है, में व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति से बचने के लिए विद्युत चुम्बकीय फ्रिक्वेंसी संबंधित मामलों में दूरसंचार विभाग के संबंधित टर्म प्रकोष्ठ की सहमति लिए बिना बीटीएस टॉवरों को बंद करने/बिजली काटने की कार्रवाई करने का विकल्प न अपनाया जाए।

V. दूरसंचार विभाग सहित राज्य सरकारें सिविल सोसाइटी सदस्यों को शामिल करते हुए जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें ।

VI. टॉवरों की संस्थापना और दूरसंचार अवसंरचना से संबंधित मुद्दों की **लोक शिकायतों** का प्रभावी समाधान करने के लिए राज्य सरकारें निम्न तंत्र स्थापित कर सकती हैं :-

- टर्म प्रकोष्ठ के अधिकारियों, राज्य प्रशासन, संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों और अन्य विद्वान व्यक्तियों आदि वाली राज्य स्तरीय दूरसंचार समिति।
- जिला प्रशासन के अधिकारियों, संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों और अन्य विद्वान व्यक्तियों आदि वाली जिला स्तरीय दूरसंचार समिति।

ग. दूरसंचार विभाग/टर्म प्रकोष्ठ द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

I. दूरसंचार विभाग के वेब पोर्टल/सरकार प्रकाशन के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम ।

II. (क) सभी मौजूदा और नए बीटीएस/टॉवरों के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से टीईसी, दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवधिक रूप से स्व-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थल के आस-पास के सभी सामान्य-जन क्षेत्र सुरक्षित विद्युत चुम्बकीय विकिरण सीमा के भीतर है। किसी भी उल्लंघन की सूचना प्राप्त होने पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर भारी अर्थदण्ड लगाया जाएगा और यदि उल्लंघन जारी रहता है तो उस बीटीएस को बंद भी किया जा सकता है।

(ख) टर्म प्रकोष्ठ को सुरक्षित सीमा के भीतर टॉवरों से विकिरण सहित बीटीएस की तकनीकी जांच के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इनमें छत के ऊपर/जमीन पर/खम्बों पर लगे/दीवारों पर संस्थापित टॉवर शामिल हैं। वे एंटीना के अभिमुख, टॉवर से सुरक्षित दूरी (बाहरी क्षेत्र) आदि का भी सत्यापन करेंगे। बीटीएस और एंटीना का संस्थापन और इसका संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। दूरसंचार विभाग ईएमएफ विकिरण और जन सुरक्षा विषय पर दूरसंचार विभाग द्वारा जारी अद्यतन दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इन अधिकारियों के लिए पर्याप्त कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। टर्म प्रकोष्ठ के अतिरिक्त दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं :-

जारी.....5/-

विद्युत चुम्बकीय फ्रिक्वेंसी विकिरण के लिए बीटीएस की जांच करने हेतु टर्म प्रकोष्ठ के अतिरिक्त दिशा-निर्देश (दिनांक 01.08.2013 से लागू)

******

1. निर्धारित मानदंडों के अनुपालन के लिए बीटीएस से रेडियो फ्रिक्वेंसी विकिरण की जांच करने के लिए टर्म प्रकोष्ठ के निर्देश/दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस मामले में टर्म प्रकोष्ठ के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं:-

2. मोबाइल टॉवरों से रेडियो फ्रिक्वेंसी उत्सर्जन के संबंध में सुरक्षा पहलुओं/प्रावधानों की निगरानी और इनके अनुपालन को सुदृढ़ करने की दृष्टि से टर्म प्रकोष्ठ अपनी जांच करते समय यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि सभी सामान्य जन क्षेत्र दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित की गई सुरक्षित ईएमएफ प्रभाव सीमा के भीतर है, निम्नलिखित उपाय भी कर सकता है:-

- जमीन आधारित टॉवरों और छत के ऊपर लगे टॉवरों के मामले में नीच दी गई तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार टॉवरों पर सबसे कम ऊँचाई वाले एंटिना के झुकाव को ध्यान में रखते हुए उस एंटीना के बिल्कुल सामने समतुल्य ऊँचाई वाला कोई भवन नहीं होगा। इसके अलावा केवल समान ऊँचाई पर स्थित एंटीना गिने जाने हैं, क्योंकि लम्बवत दिशा में मोबाइल एंटीना की बीम की चौड़ाई बहुत सीमित होती है।

समान दिशा में अभिमुख एंटीना की संख्या	समान ऊँचाई पर एंटीना से भवन/ संरचना की सुरक्षित दूरी (मीटर में)
1	20
2	35
4	45
6	55

- उपर्युक्त तालिका में दूरी के आंकड़े अनुभव से प्राप्त अनुमान पर आधारित है जिसमें यह माना गया है कि सभी एंटीना समान ऊँचाई पर ठीक उसी दिशा में 20 वाट की अपने अधिकतम रेडियो फ्रिक्वेंसी ऊर्जा स्तर पर उत्सर्जन (एक खराब मामले का परिदृश्य) कर रहे हैं। भवन की सुरक्षित दूरी की मान्यताएं वास्तविक परिनियोजन परिदृश्य पर आधारित होगी और यह अधिकांशतः उपर्युक्त उल्लिखित दूरी से ज्यादा-कम हो सकती है।

3. <u>दीवार पर लगे/खम्बों पर लगे एंटीना:-</u>

- जहां कहीं भी एंटीना भवन की दीवार या खम्बों पर/सड़क के किनारें लगाए गए हों तो उनकी ऊँचाई जमीन से/सड़क की सतह से कम से कम 5 मीटर ऊँची होनी चाहिए। तथापि, ऐसी स्थापना के बारे में विकिरण सीमाओं का अनुपालन करना होगा।
- जहां तक एंटीना से भवन की सुरक्षित दूरी का संबंध है, उपर्युक्त दिशा-निर्देश लागू होंगे।

******